

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर

पीठासीन अधिकारी – श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर0ए0एस)

प्रकरण संख्या– 12/02/2025

जीसीएमएस– 2025/72

दायर दिनांक– 09/01/2025

निर्णय दिनांक– 29/08/2025

1. अमरसिंह पुत्र रामसहाय जाति जाट निवासी कांटवाडी तहसील कठूमर जिला अलवर।

.....अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत सहाडी पंचायत संभिति कठूमर जिला अलवर।।

..... असल रेस्पोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 09.11.2024 विरासत इन्तकाल संख्या 1180

ग्राम कांटवाडी ग्राम पंचायत सहाडी अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व

अधिनियम, 1956

उपस्थिति–1.श्री भवानी शंकर शर्मा अधिवक्ता अपीलाण्ट

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में अपील विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 375, 395, 396, वाके ग्राम कांटवाडी ग्राम पंचायत सहाडी तहसील कठूमर में स्थित है, जो अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलाण्ट के हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है अपीलाण्ट के भाई कैलाश का 1/8 हिस्सा था जिस कैलाश ने अपने 1/8 हिस्से का हक त्याग दिनांक 23.08.2024 को अपने भाई अमरसिंह अपीलाण्ट के नाम करा दिया है अपीलाण्ट ने अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराकर खातेदारी दर्ज कराने बावत पटवारी हल्का को दे दिया लेकिन पटवारी हल्का ने ने अपीलाण्ट के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 1180 वाके ग्राम कांटवाडी तस्दीक किया है, जबकि अपीलाण्टस का नाम अमरसिंह पुत्र रामसहाय के स्थान पर अतरसिंह पुत्र अर्जन अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलाण्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 09.11.2024 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.11.2024 को रेस्पोंडेंट सरपंच ग्राम पंचायत कठूमर के समक्ष बास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना बुलाये अपीलाण्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलाण्ट का नाम अमरसिंह पुत्र रामसहाय के स्थान पर अतरसिंह पुत्र अर्जन नाम से स्वीकार कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर तहसील अलवर

गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1180 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1180 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 09.11.2024 से दिनांक 09.1.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1180 दिनांक 09.11.2024 वाके कांटवाडी ग्राम पंचायत सहाडी तहसील कटूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

अपीलान्ट को उक्त दोषपूर्ण इन्तकाल संख्या 1180 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2024 को पटवारी हल्का के पास प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि फार्म पर पटवारी हल्का के हस्ताक्षर कराने गया तब पटवारी हल्का ने राजस्व रेकॉर्ड देखने के दौरान एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1180 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी में नरमी का रूख अपनाया है। हस्तगत प्रकरण में अपील में देरी के बिन्दु पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

प्रकरण में दफा 5 स्वीकार होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पोंडेंट दिनांक 04.08.2025 को वाबजूद रजिस्टर्ड डाक सूचना के अनुपस्थित आये जिनकी अनुपस्थिति दर्ज की गई। अपीलान्ट्स के द्वारा अपने पत्रावली के साथ नकल इन्तकाल संख्या 1180 वाके ग्राम कांटवाडी व फॉटो प्रति बयनामा की पेश किये हैं जो शामिल पत्रावली किये गये है।

अपीलान्ट्स अभिभाषक की अपील पर बहस सुनी गयी। सर्वप्रथम हमें उक्त इन्तकाल संख्या 1180 के बारे में जानकारी दिनांक 20.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1180 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील के तथ्यों को ही दोहराते हुए निवेदन किया अपीलान्ट मुताबिक जमाबन्दी अपीलान्ट के हिस्से की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रिकॉर्ड आराजी है अपीलान्ट के भाई कैलाश का 1/8 हिस्सा था जिस कैलाश ने अपने 1/8 हिस्से का हक त्याग दिनांक 23.08.2024 को अपने भाई अमरसिंह अपीलान्ट के नाम करा दिया है अपीलान्ट ने अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराकर खातेदारी दर्ज कराने बावत पटवारी हल्का को दे दिया लेकिन पटवारी हल्का ने ने अपीलान्ट के नाम की जाँच किये बिना ही बिना अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने विधि विरुद्ध तरीके से इन्तकाल संख्या 1180 वाके ग्राम कांटवाडी तस्दीक किया है, जबकि अपीलान्ट्स का नाम अमरसिंह पुत्र रामसहाय के स्थान पर अतसिंह पुत्र अर्जन अंकित कर दिया। जिस गलत इंतकाल को कानूनगो हल्का ने अपीलान्ट को बिना बुलाये बिना सुने सही नाम की जाँच किये बिना ही दिनांक 09.11.2024 को इन्तकाल पर सही अंकन होना पाया अंकित कर दिया। जिस विरासत इन्तकाल को पटवारी हल्का ने दिनांक 09.11.2024 को रेस्पोंडेंट सरपंच ग्राम पंचायत कटूमर के समक्ष वास्ते स्वीकृत पेश किया। जिस दोषपूर्ण इन्तकाल को ग्राम पंचायत ने बिना सुने बिना

उपस्थित अधिकारी
कटूमर (नरमण्ड) राजको

बुलाये अपीलान्ट के सही नाम की जानकारी किये बिना जाँच किये बिना पहचान के दस्तावेत लिये बिना ही गैरकानूनी ढंग से अपीलान्ट का नाम अमरसिंह पुत्र रामसहाय के स्थान पर अतरसिंह पुत्र अर्जन नाम से स्वीकार कर दिया गया। जो विधि विरुद्ध तरीके से तस्दीक होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। अपीलान्ट को उक्त इन्तकाल संख्या 1180 के बारे में सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 20.12.2024 को पटवारी हल्का के पास जाने तथा रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर हुई, जिस पर अपीलान्ट ने इन्तकाल संख्या 1180 की नकल प्राप्त कर बिना देरी किये अपील पेश की है। आदेश दिनांक 09.11.2024 से दिनांक 09.1.2025 तक की देरी कण्डोन किये जाने का उचित कारण है जिस देरी को कण्डोन करने के लिये अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम पत्रावली के साथ पेश किया गया है विवादित इन्तकाल ग्राम पंचायत की मीटिंग बुलाये बिना तथा प्रोसिडिंग रजिस्टर में दर्ज किये बिना एवं अपीलान्ट्स को बिना सुने बिना बुलाये तस्दीक किये जाने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर इन्तकाल संख्या 1180 दिनांक 09.11.2024 वाके कांटबाडी ग्राम पंचायत सहाडी तहसील कठूमर, अलवर निरस्त करने का निवेदन किया है।

हमने अपीलान्ट्स अभिभाषक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। अपीलान्ट अधिवक्ता बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व दस्तावेजात के आधार पर इन्तकाल संख्या 1180 दिनांक 09.11.2024 वाके कांटबाडी ग्राम पंचायत सहाडी तहसील कठूमर, अलवर निरस्त किये जाने एवं अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

—:आदेश:—

अतः अपीलान्ट अधिवक्ता बहस, पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत सहाडी स्वीकृत इंतकाल संख्या 1180 दिनांक 09.11.2024 वाके ग्राम कांटबाडी ग्राम पंचायत सहाडी को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार कठूमर को रिमाण्ड कर निर्देशित किया जाता है कि वह नियमानुसार पुनः नामान्तरकरण की कार्यवाही करें। पत्रावली फैंसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे-इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (अ.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर